

कार्यालय: प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़- (यूपी०)  
कार्यालय आदेश

संख्या: 2/SS/रा०में०का०आ०/यू०पी०नीटयू०जी०पी०जी० 2021/एण्टी रैगिंग/2022,

दिनांक 02/02/2022

शासनादेश संख्या: 3605/सोलह-2-2009-2590/96 टी०सी०, दिनांक 02 मार्च 2010 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08 मई, 2009 में उल्लिखित आदेशों के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की रैगिंग से रोकथाम एवं तत्सम्बन्धी सूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु महाविद्यालय स्तर पर अग्रिम आदेश तक निम्नवत एण्टी रैगिंग समिति (Anti Ragging Committee) गठित की जाती है।

क्रम सं०	नाम	पदनाम	मोबाइल नं०	ईमेल आईडी
01	डा० आर०पी० शर्मा, प्रधानाचार्य	अध्यक्ष	9839074338	gmcazamgarh@gmail.com
02	डा० शिव प्रकाश, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटरी मेडिसिन विभाग	उपाध्यक्ष	8004158839	shivprakashspm@gmail.com
03	डा० मनीषा उपाध्याय, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, एनाटमी विभाग	सदस्य	7991887799	manishaup73@gmail.com
04	डा० बृजेश कुमार, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, मेडिसिन विभाग	सदस्य	9411870108	drbrijeshkumar@74gmail.com
05	डा० सतीश कुमार, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, एनेस्थिसिया विभाग	सदस्य	9415282284	drsatis13@gmail.com
06	डा० इशरत अली अंसारी, सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, सर्जरी विभाग	सदस्य	7887089292	drishratbiswani@gmail.com
07	डा० पद्मावती गौतम, सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग	सदस्य	9984381876	drpadma.neell210@gmail.com
08	डा० राजमंगल चौधरी, सहायक आचार्य एवं विभागाध्यक्ष/नोडल अधिकारी, बायोकेमिस्ट्री विभाग	सदस्य	9450978384	rajmangal2013@gmail.com
09	डा० नियाज हसन, सहायक आचार्य, फिजियोलॉजी विभाग	सदस्य	7318555518	dr_neyaz@yahoo.com
10	श्री जल राजन चौधरी, उप जिलाधिकारी सदर जनपद- आजमगढ़।	सदस्य	9454417925	sdmaza-sadar@nic.in
11	श्री अभिजित आर० शंकर, स०पु०अ०/क्षेत्राधिकारी सदर	सदस्य	9454401301	cosadarazamgarh@gmail.com
12	श्री एस०के० सत्येन, मीडिया प्रभारी, प्रेष क्लब, जनपद-आजमगढ़।	सदस्य	9984555555	satyensk1971@gmail.com

उपाध्यक्ष, एण्टी रैगिंग समिति नियमित रूप से रैगिंग सम्बन्धी क्रियाकलापों एवं तत्सम्बन्धी किसी भी घटना के सम्बन्ध में अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायेगें। समस्त सदस्य आवश्यकतानुसार सूचित होने पर आहूत बैठक में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। रैगिंग सम्बन्धी प्राप्त किसी भी शिकायत के संदर्भ में वांछित जाँच कार्यवाही सम्पन्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु समिति उपाध्यक्ष, एण्टी रैगिंग समिति के माध्यम से संस्तुति आख्या ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8.2.22

प्रधानाचार्य  
राजकीय मेडिकल कालेज  
आजमगढ़  
तददिनांक.....।

संख्या: 2/SS/रा०में०का०आ०/यू०पी०नीटयू०जी०पी०जी० 2021/एण्टी रैगिंग/2022,  
प्रतिलिपि:-

01. सचिव, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
02. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, लखनऊ को सूचनार्थ।
03. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, लखनऊ को सूचनार्थ।
04. जिलाधिकारी, जनपद आजमगढ़ को सूचनार्थ।
05. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद आजमगढ़ को सूचनार्थ।
06. उपरोक्त समस्त अधिकारी, प्रभारी अधिकारी एवं चिकित्सा शिक्षक, रा०में०का० आजमगढ़ को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु।
07. अधीक्षक/सहायक अधीक्षक, समस्त छात्रावास, रा०में०का० आजमगढ़ को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु।
08. प्रभारी छात्र अनुभाग, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु।
09. सूचना पट्ट- कालेज/चिकित्सालय/समस्त छात्रावास।
10. गार्ड फाइल।

8.2.22

प्रधानाचार्य  
राजकीय मेडिकल कालेज  
आजमगढ़